संख्या-182/2023/1202/41-2023-17-Budget-2017

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 15 मार्च, 2023

विषय:-कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-8962/स्पिरीचुअल सर्किट-3/202**,** दिनांक 27.02.2023 एवं पत्र सं0-8963/स्पिरीचुअल सर्किट-4/2020**,** दिनांक 27.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय**,** भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम की स्पिरीचुअल सर्किट-3 योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था-**कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम** को सेन्टेज चार्ज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की **कुल धनराशि रू0 67.00 लाख** तथा स्पिरीचुअल सर्किट-4 के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम** को सेन्टेज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की **कुल धनराशि रू0 246.83 लाख** अर्थात कुल धनराशि **रू0 313.83 लाख (रू0 तीन करोड़ तेरह लाख तिरासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि की सीमा में ही सेन्टेज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त की जायेगी तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपर्युक्तानुसार जी0एस0टी0 मद में धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप में जमा की गयी धनराशि की प्रमाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही दिया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जुलाई, 2017 के पूर्व गठित है, तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृति कार्यों का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,13,83,000 (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक** 5452801040107 स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित मण्डल।
11. परियोजना प्रबन्ध, (सिविल/विद्युत) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई गोरखपुर।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।